


19.08.2025:

पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन / वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र तलबी अभाव मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
मुमानगढ़